

सौर सुजला योजनान्तर्गत सोलर पंप की स्थापना हेतु हितग्राही का आवेदन पत्र

आवेदन दिनांक:

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा),
क्षेत्रीय कार्यालय,

हितग्राही का
नवीनतम
फोटोग्राफ

द्वारा, उपसंचालक कृषि
जिला.....

विषय:-सोलर पंप की स्थापना पर अनुदान की स्वीकृति हेतु आवेदन।

महोदय,

छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजनान्तर्गत वर्ष मे, मैं अपने खेत मे मेसर्स द्वारा सोलर पंप की स्थापना, केन्द्र शासन की वित्तीय सहायता/अनुदान एवं छत्तीसगढ़ शासन के अनुदान के साथ कराना चाहता/चाहती हूँ। इस संबंध में आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :-

1	आवेदक का नाम :-	
2	पिता/पति का नाम :-	
3	स्थापना स्थल :-	
4	विकासखण्ड :-	
5	जिला :-	
6	विधानसभा क्षेत्र :-	
7	दूरभाष क्रमांक :-	
8	ई-मेल पता यदि हो तो :-	
9	आवेदक का वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व./सामान्य) :-	
10	आधार कार्ड क्रमांक :- (अनिवार्य)	
11	वोटर कार्ड	
12	विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोट क्रमांक	
13	प्रस्तावित भूमि का खसरा नम्बर	
14	कुल रकबा (हेक्टेयर में) (खसरे एवं ऋण-पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	

मैं, इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ। कृपया निम्नानुसार सौर संयंत्र की स्थापना पर मेरे पक्ष में राज्य एवं केन्द्र शासन का अनुदान नियमानुसार स्वीकृत करने कि कृपा करें :-

1	प्रस्तावित सोलर पंप का प्रकार	ए.सी./डी.सी (✓ करे)	सबमर्सिबल/सरफेस (✓ करे)
2	सोलर पंप स्थापनाकर्ता इकाई		
3	प्रस्तावित सोलर पंप की क्षमता		एच.पी.
4	सोलर मॉड्यूल क्षमता एवं मेक		
5	कंट्रोलर क्षमता एवं मेक (पम्प हेतु)		
6	पम्प का मेक		

संयंत्र की स्थापना उपरांत संयंत्र की सुरक्षा तथा रखरखाव की जवाबदारी मेरी होगी। संयंत्र के प्रदायकर्ता तथा उनके उत्पादों का चयन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें तकनीकी वारंटी अवधि 05 वर्ष शामिल है। संयंत्र में किसी प्रकार की क्षति अथवा मेरी असावधानी के कारण संयंत्र में आयी खराबी के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। क्रेडा की बिना अनुमति के मैं संयंत्र विस्थापित/स्थानांतरित नहीं करूँगा। क्रेडा द्वारा समय-समय पर जारी नीति एवं दिशानिर्देशों का मैं पालन करूँगा।

इकाई द्वारा संयंत्र के संबंध में निम्न जानकारी दी गई है:-

संयंत्र लागत समस्त व्यय एवं 05 वर्षीय रखरखाव सहित	प्रस्तावित राज्य अनुदान	प्रस्तावित केन्द्र अनुदान	मेरे द्वारा इकाई को देय राशि
₹	₹	₹	₹

सोलर फोटोवोल्टाईक संयंत्र हेतु रुपये 1/- प्रतिवॉट के मान से आवेदन शुल्क आवेदन के साथ जमा कराया जा रहा है। मेरे पेटे तथा मेरे नाम से क्रेडा से अनुदान प्राप्त करने हेतु मेसर्स को अधिकृत करता/करती हूँ।

धन्यवाद,

आवेदक का हस्ताक्षर

- संलग्न:—**
1. पहचान पत्र की सत्यापित छायाप्रति
 2. पते के प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति
 3. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति
 4. वोटर कार्ड की सत्यापित छायाप्रति
 5. बिजली बिल की सत्यापित छायाप्रति
 6. भूमि का खसरा/रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा
 7. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
 8. आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट
 9. स्थापना स्थल के फोटोग्राफ्स

सिस्टम इन्टीग्रेटर एवं क्रेडा द्वारा किये जाने वाला तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट

2	जल स्रोत का विवरण :-	बोरवेल / कुआ / अन्य
2.1	जल स्रोत की गहराई :-	
2.2	बोरवेल की माप (4" / 6" / 7" / 8" / 9") :-	
2.3	बोरवेल की यील्ड (इंच / एल.पी.एम. / एल.पी.एच.) :-	
2.4	स्टैटिक वाटर लेवल (मीटर में) :-	
2.5	ड्रॉ डाउन लेवल (मीटर में) :-	
2.6	पम्प सेटिंग (मीटर में) :-	
2.7	बोरवेल की गहराई (मीटर में) :-	
2.8	सरफेस स्टैटिक हेड (मीटर में) :-	
2.9	डिलीवरी पाईप की लम्बाई एवं व्यास (मीटर में) :-	
2.10	पावर केबल की माप एवं लम्बाई (मीटर में)	
3	नदी/नहर अथवा अन्य स्रोत हेतु सरफेस माऊंटेड पंप का विवरण:-	
3.1	सर्विस लिफ्ट (मीटर में) :-	
3.2	सरफेस स्टैटिक हेड (मीटर में) :-	
3.3	डिलीवरी पाईप की लम्बाई एवं व्यास (मीटर में) :-	
3.4	सक्शन पाईप की लम्बाई एवं व्यास (मीटर में) :-	
3.5	अन्य जानकारी (यदि हो तो) :-	
4	सोलर मॉड्यूल की स्थापना हेतु उपलब्ध छायामुक्त स्थल (मीटर ²) :-	
4.1	अक्षांश(Latitued).....देशांतर(Longitude).....	
5	जल स्रोत एवं सोलर मॉड्यूल के बीच की दूरी (मीटर में) :- (स्थल का ले-आउट संलग्न करें)	
6	प्रस्तावित सोलर पम्प (सबमर्सिबल / सरफेस) -	
6.1	पम्प का मेक -	
6.2	पम्प की क्षमता -	
6.3	पम्प का प्रकार (ए.सी. / डी.सी.) -	
6.4	यदि ए.सी. पम्प हो तो इन्वर्टर / व्ही.एफ.डी. की जानकारी -	
6.5	सोलर फोटोवोल्टाईक ऐरे क्षमता -	
6.6	मॉड्यूल का मेक -	
6.7	सेल संख्या एवं वॉटेज	
6.8	गैल्वनाइज मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर -	
6.9	ट्रेकिंग सिस्टम (मैनूअल / ऑटोमेटिक) - (MNRE के आवश्यकतानुसार पंप एवं पैनल के टेस्ट Certificate संलग्न करें)	

परियोजना लागत विवरण:-

स.क्र.	संयंत्र विवरण	इकाई लागत (लाख रु. में)	मात्रा (संख्या)	कुल लागत (लाख रु. में)
1	सोलर पम्प			
2	परिवहन एवं स्थापना (मय सिविल कार्य)			
3	सी.ओ.एम. लागत			
4	अन्य			
कुल लागत				

वित्त माध्यम

1	एम.एन.आर.ई. से केन्द्रीय वित्तीय सहायता	रु.
2	क्रेडा से राज्य अनुदान	रु.
3	अन्य स्रोत से अंशदान / अनुदान (विवरण संलग्न)	रु.
4	सॉफ्ट लोन असिस्टेंस, यदि हो तो	रु.
5	हितग्राही अंशदान	रु.
कुल		रु.

सिस्टम इंटीग्रेटर का नाम.....

सिस्टम इंटीग्रेटर के हस्ताक्षर एवं सील

सत्यापन किया गया

सहायक यंत्री, क्रेडा के हस्ताक्षर

सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा प्रमाण पत्र

मेरे (नाम) कंपनी का नाम
द्वारा कार्य स्थल का सर्वेक्षण किया गया एवं मेरे अभिमत से क्षमता के सोलर पम्प हेतु कार्यस्थल उपयुक्त है। उपरोक्तानुसार जानकारी भरकर प्रस्तावित स्थल पर सोलर पम्प क्रेडा एवं एम.एन.आर.ई. के मापदंडों एवं निर्देशानुसार लगाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करता हूँ।

संलग्न :- 1. MNRE Test Report for Pump , Solar Panel & Controller
2. Bill of material
3. Engineering Drawing

सिस्टम इंटीग्रेटर के हस्ताक्षर व सील

असाध्य श्रेणी के पंप हेतु प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त हितग्राही के यहाँ ट्रांसफार्मर से जल स्ट्रॉत की दूरी बहुत ज्यादा लगभगहै एवं लाईन ले जाने में बहुत व्यय आएगा। अतः यह पंप असाध्य की श्रेणी में आता है

उप अभियंता / सहायक अभियंता
छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी (मर्यादित)
के सील एवं हस्ताक्षर

उपसंचालक (कृषि)
जिला.....

**सोलर पंप की स्थापना हेतु साईट क्लीयरेंस एवं औचित्य
प्रमाणपत्र
(जे.सी.सी.के साथ मूल प्रति संलग्न की जाए)**

01. हितग्राही का नाम :
02. हितग्राही का पूर्ण पता :
03. मोबाईल/दूरभाष क्रमांक :
04. स्थापना स्थल :
05. कार्यस्थल का ले-आऊट जिसमें जलस्रोत एवं
सोलर माड्यूल्स मय स्ट्रक्चर हेतु प्रस्तावित स्थल संलग्न/असंलग्न
दर्शाया गया हो
06. उपलब्ध छायामुक्त स्थान का माप जहाँ :मी²
सोलर माड्यूल्स स्थापित किये जाने हैं
07. सिंचाई हेतु प्रस्तावित रकबा :एकड़
08. जलस्रोत : बोर/कुआँ/अन्य.....
09. जलस्रोत में जल की उपलब्धता : पर्याप्त/अपर्याप्त
10. कार्यस्थल, जलस्रोत, जल की उपलब्धता एवं आवश्यकता :
के आधार पर सोलर पंप की प्रस्तावित क्षमता एवं प्रकार
11. संयंत्र की सुरक्षा के विषय में टीप :
12. सोलर पंप के दैनिक संचालन व संधारण हेतु हितग्राही :
एवं हितग्राही की ओर से नामित व्यक्ति का नाम एवं
संपर्क नंबर

यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्यस्थल (नक्शा संलग्न)
सोलर पंप स्थापना हेतु आज दिनांक.....को तकनीकी रूप से
उपयुक्त पाया गया है ।

हितग्राही के हस्ताक्षर

सिस्टम इंटीग्रेटर के अधिकृत
प्रतिनिधि का नाम.....
हस्ताक्षर एवं सील

कार्यपालन अभियंता/सहायक
अभियंता/जिला प्रभारी के
हस्ताक्षर एवं सील
क्रेडा, क्षेत्रीय कार्यालय/
जिला कार्यालय

औचित्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा श्रीग्राम.....
विकासखण्ड.....जिला.....के पटवारी हल्का नं.....में स्थित खेत
जिसका खसरा नंबर.....कुल भूमि.....(एकड़) है जहाँ मेसर्स.....के माध्यम
से प्रस्तावित सोलर पंप की स्थापना हेतु सर्वेक्षण किया गया एवंक्षमता के सोलर पम्प
हेतु कार्यस्थल उपयुक्त है। हितग्राही को उपरोक्तानुसार संयंत्र हेतु अनुदान स्वीकृति की
अनुशंसा सहित प्रस्ताव अग्रेषित किया जाता है।

सहायक अभियंता / जिला प्रभारी
के हस्ताक्षर एवं सील
क्रेडा, क्षेत्रीय कार्यालय / जिला कार्यालय

प्रपत्र-3
स्वप्रमाणित घोषणापत्र

मैं (हितग्राही का नाम)पता.....
.....शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैं अपने कृषि कार्य हेतु अपनी कृषि भूमि की सिंचाई के लिए छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) से सौर समाधान चाहता/चाहती हूँ। मैं क्रेडा की पंजीकृत इकाई मेसर्स.....से 01 नगएचपी डीसी/एसी, सोलर सबमर्सिबल/सरफेस पंप की स्थापना कराना चाहता/चाहती हूँ, जिनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान इकाई द्वारा सोलर पंप के संबंध में पूरी तकनीकी, वित्तीय एवं सामान्य जानकारी से मुझे अवगत कराया गया है जिससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ एवं उनसे सोलर पंप लगवाने के इच्छुक हूँ। मेरे द्वारा Processing शुल्क राशि रूपये..... डी.डी. क्रं-.....दिनांक.....क्रेडा के नामे जमा किया जा रहा है।
2. मेरे द्वारा कुल हितग्राही अंश में से राशि रूपये..... नगद/डी.डी./चेक स.क्रं-.....दिनांक.....सिस्टम इंटीग्रेटर मेसर्स.....के नामे जमा किया जा रहा है। मेरे पेटे तथा मेरे नाम से क्रेडा से उक्त हितग्राही अंश, केन्द्र शासन की वित्तीय सहायता एवं राज्य अनुदान प्राप्त करने हेतु मैं मेसर्सको अधिकृत करता/करती हूँ।
3. सोलर पंप की स्थापना हेतु निःशुल्क स्वयं की अविवादित भूमि एवं जल स्रोत उपलब्ध कराऊंगा/कराऊंगी । (भूमि के कागजात एवं फोटोग्राफ्स संलग्न)
4. सोलर पंप का संचालन सूचारु रूप से करते हुए बिना क्रेडा की लिखित अनुमति के यह विस्थापित नहीं किया जायेगा।
5. क्रेडा की अनुदान नीति के अनुरूप मैं अनुदान के बाद शेष हितग्राही अंश राशि संबंधित सिस्टम इंटीग्रेटर को उपलब्ध कराऊंगा/कराऊंगी।
6. यदि प्राकृतिक कारणों से मेरा बोरवेल धँसकता है, तो ऐसी स्थिति में सिस्टम इंटीग्रेटर जिम्मेदार नहीं होगा।
7. सोलर पंप के सामान्य संचालन, ट्रेकिंग एवं माड्यूल की सफाई एवं संयंत्र की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
8. संयंत्र अथवा उसके इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का उपयोग मैं निर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा अन्यत्र नहीं करूंगा/करूंगी।
9. यदि सोलर पंप की सामग्री का मेरे द्वारा दुरुपयोग किया जाता है या मेरी लापरवाही से संयंत्र को कोई क्षति होती है, तो नियमानुसार राजस्व बकाया की भांति अनुदान वसूली का अधिकार क्रेडा को होगा और ऐसे समय में कोई आपत्ति नहीं उठाऊंगा/उठाऊंगी।
10. यदि संयंत्र को मेरे द्वारा विस्थापित किया जाता है तो नियमानुसार राजस्व बकाया की भांति अनुदान वसूली का अधिकार क्रेडा को होगा और ऐसे समय में कोई आपत्ति नहीं उठाऊंगा/उठाऊंगी।
11. क्रेडा द्वारा सोलर पंप की स्थापना हेतु क्रेडा द्वारा निर्धारित समस्त दिशानिर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।
12. मेरे यहाँ स्थापना हेतु प्रस्तावित संयंत्र में क्रेडा एवं एम.एन.आर.ई. के निर्धारित अनुदान के अतिरिक्त विभाग/संस्था से राशि.....के अनुदान की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसका विवरण पृथक से संलग्न है।

13. मेरे यहां पूर्व में कोई सोलर पंप स्थापित नहीं किया गया है।
14. मैं उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारियों/की गई घोषणाए को देने के परिणामों से भली-भाँति अवगत हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियों/की गई घोषणाए मिथ्या पाये जाते हैं तो मैं मेरे विरुद्ध भा.द.वि. 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिये स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी एवं क्रेडा मेरे विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
15. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा का निर्णय अंतिम होगा।

गवाह 1.नाम व हस्ताक्षर.....

(हितग्राही के हस्ताक्षर)

पता.....

नाम.....

पता.....

गवाह 2.नाम व हस्ताक्षर.....

पता.....